

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 1975/भाद्र 27, 1897

No. 263] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1975/BHADRA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1975

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. G.S.R. 10(E), dated the 17th January, 1975 namely:—

In the said Order, before the Table, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that, in the case of cottonseed oil, the limits of usage shall be twelve months during the period from the 1st January, 1975 to 31st December, 1975”.

[No. 9-VP(4)/75]

S. V. SAMPATH.

Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

सां० कां० नि० 498(अ).—वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, 1947 के खण्ड 4-ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, भारत सरकार कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सां० कां० नि० 10(अ), तारीख 17 जनवरी, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थातः—

उक्त आदेश, सारणों के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“परन्तु बिनौले के तेल की दशा में, उपयोग की सीमा पहली, जनवरी, 1975 से इकत्तीस दिसम्बर, 1975 की अवधि के भीतर, बारह मास होगी।”

[सं० 9-बी पी (4)/75]

एस० बी० समपथ,

भारत सरकार का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।